न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—386/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/386)

1. लक्ष्मीकांत पुत्र श्री जगन्नाथ टांक, जाति टांक, निवासी टांटोटी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

बालसिंह पुत्र नंदसिंह जाति राजपूत जरिए वारिसान।

1. कैलाश कंवर पुत्री बालसिंह
2. भंवरकंवर पुत्री बालसिंह
3. मुरजाद सिंह पुत्र बालसिंह
4. भंवरसिंह राठौड पुत्र नरेन्द्र सिंह
5. शिल्पा शक्तावत पत्नी भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम टांटोटी तहसील टांटोटी जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

6. सुरेश टांक पुत्र श्री जगन्नाथ टांक, जाति टांक निवासी टांटोटी जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार टांटोंटी, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 राजस्व वाद संख्या 18/2016.

उपस्थितः—

1. श्री तेजसिंह शेखावत, अमित कनोजिया अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 22.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 11.8.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। भू0अ0निरीक्ष से मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने के आदेश दिनांक 06.1.2017 को प्रदान कर दिए व 30.5.2017 को भू0अ0निरीक्षक से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता दिए जाने के आदेश दिनांक 18.5.2018 को प्रदान किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.05.

2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि रेस्पोडेंटगण के पिता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की कतई कोई जानकारी नहीं थी जब दिनांक 6/8/2025 को रेस्पोगण अन्य लोगो को मौके पर लेकर आया व अपीलान्ट की आराजी पर रास्ता उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा दिनांक 18/5/2018 को दिये जाने का कथन करने लगा तो प्रार्थी को आदेश दिनांक 18/5/2018 की जानकारी हुई राजस्व रिकोर्ड प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 7/8/2025 तहसीलदार व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 7/8/2025 को राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त होते ही वकील से सम्पर्क किया वकील साहब द्वारा उक्त अपील करने की सलाह दिये जाने पर दिनांक 8/8/2025 को अविलम्ब अपील न्यायालय में प्रस्तुत कि है जो जानकारी में समयावधि है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिनको कानूनी तकनीकियों की कतई कोई जानकारी नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेकों निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां विलम्ब जानबूझकर नहीं किया है वह जानकारी के अभाव में हुआ है क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट में स्पष्ट है कि जब विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.8.2016 को अपीलांट/अप्रार्थी के नोटिस जारी किए व दिनांक 7.5.2018 तक पत्रावली वास्ते मिसल नियत थी व ऐसे में अपीलांट को किसी प्रकार से नोटिस तामील नहीं हुए केवल विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के मात्र एक बार साधारण नोटिस जारी किए जिस पर भी अदम तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से तामिल अपीलान्ट को नहीं करवाई गई ऐसे में विचारण न्यायालय को अपीलान्ट कि प्रोपर तामिल करके प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर केवल रेस्पोडेंट को एकपक्षीय सुनवाई कर प्रकरण को निर्णित करते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सं. 6 की आराजी खातेदारी में से आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो विधि विरूध होने से जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11/08/2016 को रेस्पोडेंटगण के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट कि किसी प्रकार की तामिल हुए बिना ही एक तरफा में भू अभिलेख निरिक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिनांक 06/01/2017 को जारी किये गये जिस आदेश की पालना में भू अभिलेख निरिक्षक के द्वारा कार्यालय में बैठकर दिनांक 30/05/2017 को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कि गई व अपीलान्ट का अनुपस्थित होना कथन करते हुए मौका रिपोर्ट विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दी, जबकि नियम 69 के तहत मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में व आई.एल.आर/भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे के अधिकारी से धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तलब नहीं कि जा सकती है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आदेश प्रदान किये व पटवारी हल्का ने रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर मुर्तिब कर दी मौका रिपोर्ट बनाकार उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी गई व उक्त रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 251 ए में यह स्पष्ट प्रावधान है की यदि अत्यन्त आवश्यक हो या वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो तब ही रास्ता दिया जाएगा जबकी पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहीं ऐसा वर्णीत नहीं किया है रेस्पोडेंट के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है या रास्ता बन्द हो या वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो ऐसे में आवश्यकता अत्यन्त आवश्यक होना कहीं किसी प्रकार से साबित नहीं होता है जिस पर गौर किये बिना रास्ता दिये जाने का आदेश विधि विरूध है। रेस्पोडेंटगण के द्वारा कभी भी अपने खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 1585, 1585/3324 में आने जाने के

लिए अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 1577 का उपयोग, उपभोग कभी नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई कदमी रास्ता ख.न. 1577 के मेड में लगते हुए रहा है रेस्पोडेंटगण प्रारम्भ से ही अपने खातेदारी की आराजी ख.न. 1585, 1585/3324 में जाने के लिए ख.न. 4722/4392 व 1782 का ही उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है व ख.न. 4722/4392 राजस्व रिकोर्ड को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है व उक्त रास्ता ही रेस्पोडेंटगण के खेत के नजदिकी रास्ता है जहां से रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी आता जाता है ऐसे में जब पूर्व से ही रास्ता मौजूद है तो रेस्पोडेंट को नया रास्ता केवल सुविधा के लिए दिया जाना कभी धारा 251ए की मंशा नहीं रही है। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा बिना रिकोर्ड का अवलोकन करे रेस्पो0/प्रार्थी को नया रास्ता दिये जाने के आदेश विधि विरूध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व इस और ध्यान नहीं दिया की ख.न. 1577 के अन्य खातेदार और भी है जिसको रेस्पोडेंटगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिंद्धात है कि किसी भी पक्षकार के विरूध आदेश प्रदान किये जाने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। ऐसे में अन्य खातेदार भी जो ख.न. 1577 के संयुक्त खातेदारी अधिकार रखते है उनको प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर प्रोपर तामिल के पश्चात साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जबकि विचारण न्यायालय द्वारा बिना रिकोर्ड का अवलोकन करे बिना प्रोपर तामिल करवाये ही अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 6 की खातेदारी से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो विधि विरूध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021 आरआरटी 441 एस0सी, 2022 आरआरटी द्वितीय 693, 2002 आरआरटी द्वितीय 754 एच0सी0, 2020 आरआरटी द्वितीय 979, 2021 आरआरटी द्वितीय 1286, 2018 आरबीजे 279 डी0बी0, 2010 आरआरटी (1) 216, 2024 आरआरटी (1) 67, 2021 आरआरटी (1) 533 प्रस्तुत किया।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम टांटोटी स्थित खसरा नम्बर 1793, 1792, 1791 वादी की खातेदारी है जिसमें जाने हेतु खसरा नम्बर 1781 में से 10 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है जिसकी लंबाई 525 फुट नक्शे अनुसार बनती है जिसका 0.05 है0 भूमि बनती है। ग्राम टांटोटी की डीएलसी दर 61600/– प्रति बीघा है। वांछित रास्ते की भूमि कि किमत बाजार दर से 1848/– रू बनते हैं। अतः वादी से 18480 रूपए का दुगुना राशि 36960 प्रतिवादी को भुगतान करे अथवा 0.10 है0 भूमि वादी के खाते से कम कर प्रतिवादी के खाते में दर्ज की जावे उक्त रास्ते में दी गई भूमि गैर मुमकिन सिवायचक रास्ते के रूप में दर्ज रहेगी यह रास्ता 1781 की पूर्वी मेड पर रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है

जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 18.05.2018 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 11.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरांत पत्रावली आगामी पेशी दिनांक में नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2017 को भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2017 को प्राप्त हुई, परंतु इन सब प्रोसिडिंग के अवलोकन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण के तामील बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना अपनी आदेशिका में अंकित नहीं कि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को विधि सम्मत रूप से नोटिस ही तामील नहीं करवाए गए वरन संपूर्ण प्रकरण में की गई समस्त प्रोसिडिंग शुरू से ही एकपक्षीय है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह वर्णित नहीं किया गया है कि किसके नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए व किस के नहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील बाबत किसी प्रकार की सूचना अंकित नहीं की गई है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम साधारण नोटिस जारी किए जाते है उसके पश्चात रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी होते हैं यदि उसके पश्चात भी तामीली का अभाव रहता है तो न्यायालय द्वारा जरिए अखबार साया तामील करवाए जाने बाबत आदेश पारित किए जाते हैं परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामीली की विधिवत प्रक्रिया का उपयोग किए बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय रूप से कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण में आदेश दिनांक 18.05.2018 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.2018, **सिविल प्रकिया संहिता 1908**—*आदेश 5 नियम 17 से 20 की पालना किए बिना पारित किया गया है।*

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2017 का भी अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया ना ही प्रार्थी/रेस्पोडेंट को मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं तथा दिया गया रास्ता नजदीकी है या नहीं इसका भी कोई अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई उक्त मौका रिपोर्ट में उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर भी नहीं है व उक्त मौका रिपोर्ट प्रकरण से संबंधित पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनाई गई है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मौका रिपोर्ट बनाते समय पक्षकारों को नोटिस जारी कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिवत रूप से

उनसे मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त कर उसका निस्तारण करते हुए बनाई जाना आज्ञापक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र, टांटोटी में दिनांक 18.05.2018 को पारित किया गया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामे के अनुसार निर्णय किए जाने बाबत सहमति हो व उभयपक्षकारान के कैम्प में उपस्थिति बाबत आदेशिका में हस्ताक्षर हो, परंतु उक्त निर्णय लोक अदालत में पूर्ण रूप से बिना अपीलांट/अप्रार्थीगण की उपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि खसरा नम्बर 1577 संयुक्त खातेदारी की है तथा उक्त आराजीयात के अन्य खातेदार भी है जिन्हें रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर प्रोपर तामील सुनिश्चित कर प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए परंतु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर उनकी विधिवत तामील करवाते हुए, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर